न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

बइजलासः– डॉ. हरितिमा (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 47/2019

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व/भू.अ. अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

——— अपीलांट

बनाम्

1. प्रीतमकौर पत्नी जसवन्त सिंह
2. सुखदेवसिंह पुत्र साधुसिंह जाति मजहबी साकिन 1 केएएम बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
3. गुरनामसिंह पुत्र किकरसिंह जाति बावरी साकिन 20 एएस तहसील अनूपगढ़
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

———रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः– 04.02.2021

::आदेश::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व/भू.अ. जिला श्रीगंगानगर ने न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर अभिकथन किया है कि कृषि भूमि वाके चक 1 केएएम–बी तहसील अनूपगढ़ का प.न. 237/473 मु.न. 11 की 2.003 है. भूमि प्रीतमकौर पत्नी जसवंत सिंह, वीरपाल कौर–रेशम सिंह–जगर सिंह–राजेन्द्र कौर उर्फ राजवीर कौर–औंकार सिंह पुत्र/पुत्रियाँ जसवंत सिंह ब.हि.ब. 1/2 हिस्सा सुखदेव सिंह पुत्र साधुसिंह कौम मजबी 1/2 हिस्सा सा. 1 केएएम–बी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर खातेदार के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि की दस्तबरदारी दिनांक 17.05.2018 को वीरपाल कौर–रेशम सिंह–जगर सिंह–राजेन्द्र कौर उर्फ राजवीर कौर–औंकार सिंह पुत्र/पुत्रियां जसवन्त सिंह द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग अपनी माता प्रीतम कौर पत्नी जसवन्त सिंह के पक्ष में किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त दस्तबरदारी दस्तावेज दिनांक 17.05.18 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.05.18 को उक्त इंतकाल स्वीकृत कर दिया। इस इंतकाल के बाद तहसील क्रार्यालय के आदेश क्रमांक 46/2018 दिनांक 29.05.18 के आधार पर उक्त भूमि का बंटवारा का इंतकाल सं. 222 पटवारी द्वारा दर्ज किये जाने पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा इंतकाल संख्या 222 को दिनांक 15.06.18 को स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात् प्रीतम कौर द्वारा एस.बी.आई. शाखा रामसिंहपुर से अदेय प्रमाण पत्र दिनांक 02.06.18 प्राप्त कर तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक : 559 दिनांक 06.06.18 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा रहनमुक्त का इंतकाल सं. 223 दर्ज कर प्रीतमकौर के हिस्से की भूमि का रहनमुक्त का इंतकाल तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.06.18 को रहनमुक्त स्वीकृत किया गया। इसके उपरांत प्रीतमकौर द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 0.759 है. भूमि जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 30.05.18 को गुरनाम सिंह पुत्र किकर सिंह जाति बावरी सा. 20 ए.एस तहसील अनूपगढ़ को बैय किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा बैयनामा के आधार पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

इंतकाल सं. 224 दर्ज किये जाने पर तत्कालीन तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 22.06.18 को इंतकाल स्वीकृत किया गया। अपीलांट के अनुसार इंतकाल सं. 219 के बाद इसी भूमि के तीन और इंतकाल दर्ज हो गये जो कि उक्तानुसार क्रमशः 222, 223 व 224 हैं (चारों इंतकालों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न है) चूंकि इंतकाल सं. 219 के कॉलम सं. 7 में वर्णित प्रीतमकौर पत्नी जसवंत सिंह, वीरपाल कौर–रेशम सिंह–जगर सिंह–राजेन्द्र कौर उर्फ राजवीर कौर–औंकार सिंह पुत्र/पुत्रियाँ जसवंत सिंह ब.हि.ब. 1/2 हिस्सा की भूमि एस.बी.आई. शाखा रामसिंहपुर के पक्ष में रहन दर्ज थी जबकि राजस्व रिकॉर्ड को अनदेखा कर आलौच्य इंतकाल आदेश पारित किया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि तत्कालीन तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ का आलौच्य आदेश दिनांक 25.05.2018 (दस्तबरदारी इंतकाल संख्या 219) कतई गलत, विधि–विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती के है। आलौच्य आदेश दिनांक 25.05.2018 एवं इंतकाल सं. 219 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील है।

यह कि प्रश्नगत इंतकाल दिनांक 25.05.18 को दर्ज किये जाने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की गई है चूंकि अपीलाधीन भूमि बैंक के पक्ष में रहन थी और रहन का नोट भी जमाबंदी में दर्ज है, जब तक कानूनन प्रश्नगत भूमि को रहनमुक्त करवाकर रहन फक का नोट राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं करवा लिया जाता तब तक रहनशुदा भूमि का किसी भी दस्तावेज के प्रकाश में इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकता लेकिन तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आलौच्य इंतकाल दर्ज करने से पूर्व उक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर एंव अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त आलौच्य इंतकाल स्वीकृत कर दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में भी आलौच्य इंतकाल आरम्भ से शून्य व विधिविरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती के है।

यह है कि तत्कालीन तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एवं भू–राजस्व अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर आलौच्य इंतकाल आदेश पारित किया गया है जो एक पक्षीय है अतएव आलौच्य इंतकाल आरम्भ से शून्य व विधिविरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती के है।

यह है कि तत्कालीन तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ द्वारा पारित आलौच्य इंतकाल दिनांक 25.05.18 एक पक्षीय है पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा रहन के नोट को अंगीकार किये बिना दस्तबरदारी के आधार पर रेस्पोडेंट सं. 01 के नाम से इंतकाल सं. 219 दर्ज कर स्वीकृत करवाया जो कानूनन विधि मान्य नहीं है। अब वर्तमान में पूर्व में दर्ज एवं स्वीकृत हुये नामान्तकरण को कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा था तो सरकार द्वारा जारी ऑनलाईन कम्प्यूटरीकृत सिस्टम में इंतकाल दर्ज किये जाने वक्त उक्त गलती पकड़ में आई जिस पर पटवारी हल्का से आलौच्य आदेश इंतकाल की नकल प्राप्त की गई। जिस पर तुरन्त ही बिना किसी देरी के ज्ञान होते ही यह अपील पेश की जा रही है। दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। चूंकि तत्कालीन तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ द्वारा दर्ज आलौच्य इंतकाल रहनशुदा भूमि का होने के कारण आरम्भ से शून्य व विधि विरूद्ध है तथा ऐसे विधि विरूद्ध इंतकाल को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तत्कालीन तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ का आलौच्य आदेश दिनांक 25.05.2018, 15.06.2018 एवं 22'.06.2018 जिसकी रूह से रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3 के नाम स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किये जावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

अपीलांट की अपील दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया व रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंटस सं. 2 व 3 की तरफ से एडवोकेट धर्मपाल सिंह ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर पत्रावली पेशी में ली गई। रेस्पोडेंट सं. 01 द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के उपरांत उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि अपील तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा प्रस्तुत की गई है व अपील के साथ दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। अतः प्रकरण में रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई।

बहस सुनी गई। तहसीलदार अनूपगढ़ ने बहस में अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि प्रश्नगत इंतकाल दिनांक 25.05.18 को दर्ज किये जाने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की गई है चूंकि अपीलाधीन भूमि बैंक के पक्ष में रहन थी और रहन का नोट भी जमाबंदी में दर्ज है, जब तक कानूनन प्रश्नगत भूमि को रहनमुक्त करवाकर रहन फक का नोट राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं करवा लिया जाता तब तक रहनशुदा भूमि का किसी भी दस्तावेज के प्रकाश में इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकता लेकिन तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आलौच्य इंतकाल दर्ज करने से पूर्व उक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर एंव अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त आलौच्य इंतकाल स्वीकृत कर दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में भी आलौच्य इंतकाल आरम्भ से शून्य व विधिविरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती के है। इंतकाल सं. 219 के बाद इसी भूमि के तीन और इंतकाल दर्ज हो गये जो कि उक्तानुसार क्रमशः 222, 223 व 224 हैं। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तत्कालीन तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ का आलौच्य आदेश दिनांक 25.05.2018, 15.06.2018 एवं 22'.06.2018 जिसकी रूह से रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3 के नाम स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किये जावें। बहस के क्रम में तहसीलदार अनूपगढ ने निवेदन किया कि उक्त आलौच्य इंतकाल विधिविरूद्ध दर्ज होने के कारण एक अन्य तकनीकी समस्या यह उत्पन्न हुई है कि तहसील अनूपगढ़ ऑनलाईन होने के पश्चात् उक्त ऑफलाईन दर्ज आलौच्य इंतकाल को ऑनलाईन किया जाना संभव नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरूप तहसील अनूपगढ ऑनलाईन होने से आज दिनांक तक (लगभग अढाई वर्ष से) संबंधित चक 1 केएएम–बी तहसील अनूपगढ़ का एक भी इंतकाल दर्ज नहीं हो सका है। फलतः इस अपील के स्वीकार किये जाने से न केवल रेस्पोडेंट्स के इंतकालों को ऑनलाईन किया जाना संभव हो सकेगा बल्कि सम्पूर्ण चक 1 केएएम–बी के आज दिनांक तक रूके हुये समस्त इंतकालों का निर्णय और लॉक किया जाना संभव हो सकेगा, जिससे चक 1 केएएम–बी के काश्तकारों को भूमि के विक्रय, बैंक ऋण, भूमि संपरिवर्तन आदि में आ रही समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। अपीलांट सं. 02 व 03 के अधिवक्ता श्री धर्मपाल सिंह ने अपील में दर्ज तथ्यों और तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा अपनी बहस में उठाये गये बिन्दूओं का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि आलौच्य इंतकाल न तो आरम्भ से शून्य है एवं न ही विधिविरूद्ध, बल्कि आलौच्य इंतकाल राजस्व नियमों का पूर्णतया पालन करते हुए विधिपूर्वक दर्ज किये गये है, फलतः हस्तगत अपील खारिज की जावें।

पत्रावली पर आए तथ्यों एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं तहसीलदार अनूपगढ़ व रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा बहस में उठाये गये बिन्दूओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर आए तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत इंतकाल दिनांक 25.05.18 को दर्ज किये जाने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की गई

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

है चूंकि अपीलाधीन भूमि बैंक के पक्ष में रहन थी और रहन का नोट भी जमाबंदी में दर्ज है, जब तक कानूनन प्रश्नगत भूमि को रहनमुक्त करवाकर रहन फक का नोट राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं करवा लिया जाता तब तक रहनशुदा भूमि का किसी भी दस्तावेज के प्रकाश में इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकता लेकिन तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आलौच्य इंतकाल दर्ज करने से पूर्व उक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर एंव अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त आलौच्य इंतकाल स्वीकृत कर दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। इंतकाल सं. 219 के बाद इसी भूमि के तीन और इंतकाल दर्ज हो गये जो कि उक्तानुसार क्रमशः 222, 223 व 224 हैं। उक्त आलौच्य इंतकाल विधिविरूद्ध दर्ज होने के कारण तहसील अनूपगढ़ ऑनलाईन होने के पश्चात् उक्त ऑफलाईन दर्ज आलौच्य इंतकाल को ऑनलाईन किया जाना संभव नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरूप तहसील अनूपगढ ऑनलाईन होने से आज दिनांक तक (लगभग अढाई वर्ष से) संबंधित चक 1, केएएम–बी तहसील अनूपगढ़ का एक भी इंतकाल दर्ज नहीं हो सका है। फलतः न्यायालय इस बात से सहमत है कि इस अपील के स्वीकार किये जाने से न केवल रेस्पोडेंट्स के इंतकालों को ऑनलाईन किया जाना संभव हो सकेगा बल्कि सम्पूर्ण चक 1 केएएम–बी के आज दिनांक तक रूके हुये समस्त इंतकालों का निर्णय और लॉक किया जाना संभव हो सकेगा, जिससे चक 1 केएएम–बी के काश्तकारों को भूमि के विक्रय, बैंक ऋण, भूमि संपरिवर्तन आदि में आ रही समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। स्पष्ट है कि आलौच्य इंतकालों को निरस्त कर पुनः विधिपूर्वक दर्ज किये जाने पर एक पूरे चक के काश्तकारों को लाभ मिलेगा। अतः न्यायालय की राय में हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आलौच्य इंतकालों को आरम्भ से शून्य व विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

::आदेश::

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं तत्कालीन तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के आलौच्य आदेश दिनांक 25.05.2018, 15.06.2018 एवं 22'.06.2018 जिसकी रूह से रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3 के नाम से दर्ज अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किये जाते है एवं तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह प्रत्यर्थीगण को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रवृत्त राजस्व अधिनियम/नियम के आलोक में पुनः विधिनुसार नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ हरितिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner